उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
निकट– महाराणा प्रताप स्पोटर्स कॉलेज, थानों रोड़, रायपुर देहरादून।
(वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in ई–मेल–chayanayog@gmail.com)

पत्रांक 303 / गोपन / ह0प्रशि0 / 2024–25 **दिनांकः 11 नवम्बर, 2024**

विज्ञप्ति

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत हवलदार प्रशिक्षक के पदों हेतु शारीरिक माप–जोख एवं दक्षता परीक्षा दिनांक **21 अक्टूबर, 2024** से राज्य के 02 परीक्षा केन्द्रों (40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार एवं 46वीं वाहिनी पीएसी रूद्रपुर) में संचालित की जा रही है।

हवलदार प्रशिक्षक के पदों की शारीरिक माप–जोख एवं दक्षता परीक्षा 46वीं वाहिनी पीएसी रूद्रपुर में दिनांक 14 नवम्बर, 2024 को, 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार परीक्षा केन्द्र में दिनांक 26 नवम्बर, 2024 को समाप्त हो रही है।

उक्त शारीरिक परीक्षण के संचालन के दौरान कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा अपरिहार्य कारणों (यथा– स्वास्थ्य खराब होने, अन्य परीक्षा में सम्मिलित होने इत्यादि) से शारीरिक परीक्षण तिथि को सम्मिलित न हो पाने के संबंध में आयोग में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये है।

उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि चिकित्सकीय कारणों से शारीरिक परीक्षण के लिए आवंटित तिथि को अनुपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त चिकित्सक से चिकित्सकीय प्रमाण पत्र व फिटनेस प्रमाण पत्र, यदि किसी अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए आवंटित तिथि को अन्य कोई परीक्षा निर्धारित थी, तो ऐसे अभ्यर्थियों को संबंधित परीक्षा के प्रवेश पत्र की प्रति, इसके अतिरिक्त अन्य कोई तात्कालिक परिस्थितियों व विषयों के संबंध में पुष्ट साक्ष्यों के साथ निम्न तिथियों में शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा हैः–

क्र0सं0	परीक्षा केन्द्र का नाम	परीक्षा समाप्ति तिथि	अंतिम अवसर तिथि
1	46वीं वाहिनी पीएसी रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर	14 नवम्बर, 2024	**16 नवम्बर, 2024 (पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी)**
2	40वीं वाहिनी पीएसी, हरिद्वार	26 नवम्बर, 2024	**27 नवम्बर, 2024 (पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी)**

अतः शारीरिक माप–जोख एवं दक्षता परीक्षा में वैध कारणों से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें। उक्त तिथियों के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव